क्रम संख्या–09

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2009–11

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 06 जनवरी, 2010 ई0

पौष 16, 1931 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 16/XXXVI(3)/2010/88(1)/2009

देहरादून, 06 जनवरी, 2010

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965) (संशोधन) विधेयक, 2009'** पर दिनांक 05 जनवरी, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 08, वर्ष 2010 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965) (संशोधन) अधिनियम, 2009

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 08, वर्ष 2010)

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) का उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर संशोधन हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965) (संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

(2) इसका विस्तार छावनी क्षेत्रों को विवर्जित करते हुए सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

मूल अधिनियम की धारा 62 का निरसन

2–उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 62 उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में एतद्द्वारा निरसित की जाती है।

निरसन और अपवाद

3–ऐसे निरसन के होते हुए भी मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के सभी उपबन्ध सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

राम दत्त पालीवाल,

सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttar Pradesh Awas avam Vikash Parishad Act, 1965) (as applicable to the State of Uttarakhand (Amendment) Bill, 2009' (Adhiniyam Sankhya 08 of 2010) :--

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 05 Janu:.y, 2010).

No. 16/XXXVI(3)/2010/88(1)/2009

Dated Dehradun, January 06, 2010

NOTIFICATION

Miscellaneous

UTTARAKHAND (UTTAR PRADESH AWAS AVAM VIKASH PARISHAD ACT, 1965)

(AMENDMENT) ACT, 2009

(UTTARAKHAND ACT NO. 08 OF 2010)

Further to amend The Uttar Pradesh Awas avam Vikas Parishad Act, 1965 (As applicable in the State of Uttarakhand) in its applicability to the State of Uttarakhand.

AN

Act

Be it enacted in the Sixtieth Year of the Republic of India by the Uttarakhand Legislative Assembly as follows :--

Short Title and Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand (Uttar Pradesh Awas avam Vikas Parishad Act, 1965) (Amendment) Act, 2009

(2) It extends to the whole of the State of Uttarakhand except Contonment Areas.

(3) It shall come into force at once.

2. In section 62 of the The Uttarakhand (Uttar Pradesh Awas avam Vikas Parishad Act, 1965 hereinafter referred to as Principal Act, is hereby repealed in relation to the State of Uttarakhand. Repeal of Section 62 of the Principal Act

3. Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at the all material times. Repealed and Savings

By Order,

RAM DATT PALIWAL,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 16 विधायी/44–2010–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।